न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः— हरभान मीणा आर.ए.एस.

(1) अपील स. 49 / 2014 / 75 एलआर एक्ट

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. लादूराम पुत्र सरदाराराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

———रेस्पो0

2. गुगनराम पि0 माता इन्द्रावती पत्नि चुन्नीराम जाति ढोली निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
3. जैसाराम पि0 माता इन्द्रावती पत्नि चुन्नीराम जाति ढोली निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
4. लिछमण पि0 माता इन्द्रावती पत्नि चुन्नीराम जाति ढोली निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
5. कलावती पि0 माता इन्द्रावती पत्नि चुन्नीराम जाति ढोली निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
6. शैलाब पुत्र माता मोहनी पुत्री इन्द्रावती पत्नि चुन्नीराम जाति ढोली निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
7. जगदीश पुत्र माता मोहनी पुत्री इन्द्रावती पत्नि चुन्नीराम जाति ढोली निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
8. शानू पुत्री माता मोहनी पुत्री इन्द्रावती पत्नि चुन्नीराम जाति ढोली निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
9. मैना पुत्री माता मोहनी पुत्री इन्द्रावती पत्नि चुन्नीराम जाति ढोली निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
10. लालाराम पुत्र माता मोहनी पुत्री इन्द्रावती पत्नि चुन्नीराम जाति ढोली निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

उपस्थित :—

1. श्री कुलदीप बैनीवाल राजकीय अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पों0

(2) अपील स. 167 / 2015 / 75 एलआर एक्ट

1. आदूराम पि0 माता इन्द्रावती पत्नि चुन्नीराम जाति ढोली निवासी भावलदेसर तहसील नोहर जरिये मुख्त्यारे आम शांतिदेवी पत्नि जैसाराम जाति ढोली निवासी भावलदेसर तहसील नोहर। —अपीलाण्ट

बनाम

1. लादूराम पुत्र सरदाराराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

———रेस्पो0

2. गुगनराम पि0 माता इन्द्रावती पत्नि चुन्नीराम जाति ढोली निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
3. जैसाराम पि0 माता इन्द्रावती पत्नि चुन्नीराम जाति ढोली निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
4. लिछमण पि0 माता इन्द्रावती पत्नि चुन्नीराम जाति ढोली निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
5. कलावती पि0 माता इन्द्रावती पत्नि चुन्नीराम जाति ढोली निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
6. शैलाब पुत्र माता मोहनी पुत्री इन्द्रावती पत्नि चुन्नीराम जाति ढोली निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
7. जगदीश पुत्र माता मोहनी पुत्री इन्द्रावती पत्नि चुन्नीराम जाति ढोली निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
8. शानू पुत्री माता मोहनी पुत्री इन्द्रावती पत्नि चुन्नीराम जाति ढोली निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
9. मैना पुत्री माता मोहनी पुत्री इन्द्रावती पत्नि चुन्नीराम जाति ढोली निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
10. लालाराम पुत्र माता मोहनी पुत्री इन्द्रावती पत्नि चुन्नीराम जाति ढोली निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

——— तरतीबी रेस्पो0

11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

———रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :—

1. श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1
3. श्री कुलदीप बैनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 11

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 01.02.2013 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी नोहर

निर्णय दिंनाक : 29.11.2017

1. इस प्रकरण के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार है कि वाके रोही मौजा भावलदेसर के खसरा नं. 572/483 की 20.19 बीघा भूमि पूर्व मे इन्द्रावती बेवा चुन्नी कौम ढोली के नाम आवंटन थी जिसका आवंटन किसी भी सक्षम अधिकारी व सक्षम अदालत द्वारा खारिज नही किया गया लेकिन दिनांक 31.12.2013 को यह भूमि रेस्पो0 लादूराम पुत्र सरदाराराम को आवंटन कर विचारण न्यायालय ने कानूनी भूल की तथा इसके पश्चात मिसल नं. 15 मूर्ति बनकर दिनांक 01.02.2013 को उपनिवेशन अधिनियम मे यह भूमि रेस्पो0 को आवंटन की गई, जिससे व्यथित होकर उपरोक्त दो अपीले प्रस्तुत की गई है। दोनो अपीलो मे समान पक्षकार होने एवं एक ही आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत होने एवं समान भूमि होने के कारण उक्त दोनो अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।
2. उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अपील सं. 49/2014 के अपीलाण्ट जो कि अपील सं. 167/2015 के रेस्पो0 सं. 11 है, के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस मे कथन किया कि उक्त रकबा पूर्व मे अनुसूचित जाति विधवा औरत के नाम थी जो आदेश आज तक बहाल है। बिना उस आवंअन आदेश के दुरूस्त किये किसी अन्य को दुबारा आवंटन नही किया जा सकता है। क्योंकि कानूनन आवंटन हेतु भूमि राजकीय खाली होना अति आवश्यक है जिसका आवंटन पत्रावली मे कही भी पटवारी हल्का द्वारा दर्ज नही किया गया है। यह भूमि सन् 1982 मे रेस्पो0 को विचारण न्यायालय द्वारा आवंटन कर दी गई थी जिसको 21 वर्ष होने के बाद पुनः आवंटन किया जाना किसी प्रकार से न्यायसंगत नही है क्योंकि उपनिवेशन अधिनियम के तहत इस भूमि के खातेदारी दिये जाने संबंधी कार्यवाही की जानी चाहिए थी न की आवंटन की। उपनिवेशन अधिनियम मे गैर खातेदारी भूमि को कीमतन खातेदारी करने पर आवंटित राशि से ज्यादा आय होती है इसलिए आवंटन के समय विचारण न्यायालय ने राज्य हित का ध्यान नही रखकर कानूनी भूल की है। विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा अन्त में अपनी अपील को विलम्ब को माफ कर मियाद में शुमार करने का निवेदन किया व कथन किया कि इस हेतु धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थनापत्र अलग से विधि अनुसार प्रस्तुत किया हुआ है इसलिये अपील को विलम्ब को क्षमा दान कर अपील मियाद शुमार की जाकर, अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

4. अपील सं. 167/2015 के अपीलाण्ट व अपील संख्या 49/2014 के रेस्पो0 सं. 2 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया कि वादग्रस्त भूमि रोही मौजा भावलदेसर के खसरा नं. 512/482 की 20.19 बीघा भूमि पूर्व मे अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 की माता इन्द्रावती बेवा चुन्नी कौम ढोली के नाम आवंटन थी जिसका आवंटन किसी भी सक्षम अधिकारी व सक्षम अदालत द्वारा खारिज नही किया लेकिन विचारण न्यायालय ने रेस्पो0 सं. 1 लादूराम के पक्ष मे दिनांक 31.12.1982 को उक्त भूमि आवंटित कर कानूनी भूल की है। अपीलांट की माता उक्त भूमि की गैरखातेदार काश्तकार थी। परन्तु विचारण न्यायालय ने दिनांक 13.12.1982 को गैरकानूनी तरीके से अनुसूचित जाति विधवा औरत के नाम की भूमि को बिना आवंटन खारिज किये रेस्पो0 सं. 1 लादूराम को दुबारा आवंटन कर दिया जबकि उक्त आदेश करते समय भूमि राजकीय भूमि कानूनी तौर पर होनी चाहिए थी। उक्त खाली होने का प्रमाण पटवारी हल्का द्वारा कही पर भी दर्ज नही किया गया था। एक हरीजन औरत का आवंटन को बिना कानूनी प्रक्रिया अपना कर निरस्त किये बिना ही अपीलांट की माता की आवंटित व गैर खातेदारी भूमि को रेस्पो सं0 1 के पक्ष मे विधि विरूद्ध आवंटन किया गया है। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अवहेलना की है। अपीलांट अपीलाधीन आदेश मे पक्षकार नही था इसलिए उक्त अपीलाधीन आदेश बिना प्रभावित पक्षकार को सुने पारित किया गया है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अन्त में अपनी अपील को विलम्ब को माफ कर मियाद में शुमार करने का निवेदन किया व कथन किया कि इस हेतु धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थनापत्र अलग से विधि अनुसार प्रस्तुत किया हुआ है इसलिये अपील को विलम्ब को क्षमा दान कर अपील मियाद शुमार की जाकर प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृत प्रदान की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरबीजे 1994 पेज 181, सीसीसी 2010(3) पेज 374 न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. दोनो अपीलो के रेस्पो0 सं. 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील के तथ्यो का विरोध प्रस्तुत करते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवंटन नियम 1957 के अन्तर्गत आवंटित भूमि जो गैर खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, को राजस्थान सरकार के राजस्व (उपनिवेशन) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–4(2) सी0ओ0एल0/2005 दिनांक 28.05.2007 के अनुसरण मे पुख्ता आवंटन कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमे तहसीलदार नोहर से जांच रिपोर्ट पेश हुई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी, गिरदावर हल्का व तहसीलदार नोहर रोही भावलदेसर के खसरा नं.

572/483 की 20.19 बीघा बारानी आवंटन से लेकर आज तक कब्जे मे चली आ रही है। किसी प्रकार का विवाद नही है। सार्वजनिक कार्य हेतु अवाप्त/आरक्षित नही है। विशेष आवंटन की सूची मे नही है। समस्त प्रकार से भार मुक्त है, आदि रिपोर्ट पेश हुई। उक्त आवंटन बाबत तहसीलदार नोहर ने राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प–4(2) उप/2005 दिनंक 28.05.2007 व दिनांक 01.02.2013 के अनुसार आवंटन करने की अभिशंषा की है। इस प्रकार रेस्पो0 को आवंटन का पात्र मानते हुए वादग्रस्त 20.19 बीघा भूमि को आरक्षित दर 2000 रूपये के हिसाब से कुल 41900/– मे पुख्ता आवंटन की गयी है। अपीलाधीन आवंटन आदेश विधिनुसार सही पारित किया गया है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस के अन्त मे प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने बाबत निवेदन किया गया। अतः उक्त दोनो अपीले खारिज की जावें।

6. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा यह उक्त अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाण्ट पक्षकार नही था इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी विधि सम्मत होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 लादूराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ संलग्न दस्तावेज प्रमाणित प्रति फर्दअहकाम दिनांक 23.07.79 से 08.07.80 राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर, प्रमाणित प्रतिलिपि अपील मीमो अदालत राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर, प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना धारा 5 मियाद अधिनियम, स्थगन प्रार्थना पत्र, नकल फर्द अहकाम दिनांक 14.02.79, नकल प्रार्थना पत्र हाजरी माफी, प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश, नोटिस रसीद, प्रार्थना पत्र, आदि दस्तावेजात निर्णय मे सहायक सिद्ध होने के बिन्दू को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किये जाकर संलग्न दस्तावेजात को रिकार्ड मे लिया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि कि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवंटन नियम 1957 के अन्तर्गत आवंटित भूमि जो गैर खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, को राजस्थान सरकार के राजस्व (उपनिवेशन) विभाग के परिपत्र क्रमांक

एफ–4(2) सी0ओ0एल0/2005 दिनांक 28.05.2007 के अनुसरण मे पुख्ता आवंटन कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमे तहसीलदार नोहर से जांच रिपोर्ट पेश हुई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी, गिरदावर हल्का व तहसीलदार नोहर रोही भावलदेसर के खसरा नं. 572/483 की 20.19 बीघा बारानी आवंटन से लेकर आज तक कब्जे मे चली आ रही है। किसी प्रकार का विवाद नही है। सार्वजनिक कार्य हेतु अवाप्त/आरक्षित नही है। विशेष आवंटन की सूची मे नही है। समस्त प्रकार से भार मुक्त है, आदि रिपोर्ट पेश हुई। उक्त आवंटन बाबत तहसीलदार नोहर ने राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प–4(2) उप/2005 दिनंक 28.05.2007 व दिनांक 01.02.2013 के अनुसार आवंटन करने की अभिशंषा की है। इस प्रकार रेस्पो0 को आवंटन का पात्र मानते हुए वादग्रस्त 20.19 बीघा भूमि को आरक्षित दर 2000 रूपये के हिसाब से कुल 41900/– मे पुख्ता आवंटन की गयी है। जबकि वादग्रस्त भूमि पूर्व मे अपीलांट की माता इन्द्रावती को आवंटन की गई थी तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को पक्षकार भी नही बनाया गया। परन्तु अपीलांट इन्द्रावती के वारिसान है तथा वादग्रस्त भूमि इन्द्रावती के नाम होने के कारण उसे व उसके वारिसान आवश्यक पक्षकार थे। अपीलाधीन निर्णय पारित होने से अपीलांट इन्द्रावती के वारिसान के हित प्रभावित हुए है। उपरोक्त परिस्थितियों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र मे सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियमो के प्रावधानो के अनुसार आवंटन नही किये जाने के कारण तथा आवंटन नियमों के विरूद्ध होने से विधिपूर्ण नही होने के कारण अपीलाधीन आवंटन आदेश की पुष्टि किया जाना न्यायसंगत नही है। ऐसी स्थिति मे उक्त दोनो अपीले स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

7. उक्त विवेचन के अनुसार उक्त दोनो अपीले स्वीकार योग्य होने के कारण अपीले स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.02.2013 निरस्त किया जाता है। दोनो पत्रावलियों मे निर्णय की प्रति पृथक पृथक रखी जावें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ